

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13861/2015

श्रीमती कमलेश तोमर

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री श्रेयश रामदेव
प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री ललित पारीक
श्री राजदीप सिंह चौहान

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण माँगा

आदेश (मौखिक)

27/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत मुख्य रूप से प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए है कि वे उसकी सेवानिवृत्ति के लाभों को जारी करें, जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल है, और अधिसूचना दिनांक 24.01.1990 (अनुलग्नक 8) के प्रकाश में उसकी पेंशन को लागू सेवा नियमों के अनुसार ब्याज के साथ फिर से निर्धारित करें।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 05.09.1988 के आदेश द्वारा प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता की सेवाओं को दिनांक 31.07.1991 के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उसे दिनांक 06.08.1991 के आदेश द्वारा अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम संरक्षण के अनुसरण में, याचिकाकर्ता को दिनांक 12.08.1991 के आदेश (अनुलग्नक 3) द्वारा फिर से नियुक्त किया गया।

2.1 दिनांक 11.08.2014 के आदेश (अनुलग्नक 7) द्वारा याचिकाकर्ता को वर्ष 2008 से संशोधित चयन ग्रेड दिया गया था। चयन ग्रेड वर्ष से व्यथित होकर

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से एक अभ्यावेदन और दिनांक 24.01.1990 की अधिसूचना की एक प्रति के साथ संपर्क किया। हालांकि, याचिकाकर्ता को यह प्रदान नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 5930/2011 (अनुलग्नक 9) में पारित दिनांक 14.09.2012 का एक निर्णय भी प्रस्तुत किया, जिसके तहत समान स्थिति वाले व्यक्तियों को 10 वर्ष पूरे करने पर चयन ग्रेड प्रदान किया गया था, लेकिन प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया।

2.2 याचिकाकर्ता दिनांक 30.08.2014 के आदेश (अनुलग्नक 10) द्वारा सेवानिवृत्त हो गई। दिनांक 15.10.2014 के आदेश (अनुलग्नक 11) द्वारा याचिकाकर्ता को केवल 5,298/- रुपये की निश्चित पेंशन की मामूली राशि दी गई। व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने अपनी पेंशन के पुनर्निर्धारण के लिए दिनांक 03.07.2015 को एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक 12) दायर किया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत को संबोधित करने के लिए एक कानूनी नोटिस (अनुलग्नक 13) जारी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए, यह याचिका।

3. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में यह तर्क दिया गया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक ने दिनांक 03.04.1993 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि अप्रशिक्षित शिक्षक, जिनकी भर्ती वैधानिक भर्ती नियमों के अनुसार नहीं की गई थी, वे स्वीकार्य भर्तों के साथ वेतनमान का न्यूनतम लाभ पाने के हकदार होंगे। हालांकि, जब तक ये शिक्षक अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वे वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार नहीं होंगे। इस स्थिति को परिपत्र दिनांक 03.04.2003 (अनुलग्नक आर/1) द्वारा और स्पष्ट किया गया था। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था; इसलिए, वह किसी भी राहत की हकदार नहीं है।

3.1 इसके अलावा, प्रतिवादियों ने दिनांक 20.10.2009 का आदेश (अनुलग्नक आर/2) जारी किया, जिसके तहत प्रशिक्षण आयोजित किया गया। हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ता ने 2014 तक अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था, इसलिए उसे संबंधित परिपत्रों के अनुसार निश्चित वेतन/पेंशन प्रदान किया गया। यदि याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति आदेश जारी होने से पहले अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर ली होती तो मामला अलग होता। बेशक, उसने अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है; इसलिए, वह इस न्यायालय से किसी भी राहत की हकदार नहीं है। इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

5. यहाँ जो बात सामने आई है वह यह है कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को पेंशन संबंधी लाभ जारी न करने के बारे में दोहरा विरोध किया है, हालाँकि उसे अनंतिम पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। सबसे पहले, वह नियमित वेतनमान के लाभ के लिए पात्र नहीं थी क्योंकि उसे दिनांक 24.01.1990 की अधिसूचना के मद्देनजर अयोग्य माना गया था। प्रासंगिक अंश, उपयुक्त होने के नाते, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

1. इंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में नियुक्त एवं कार्यरत विद्यमान महिला अध्यापक, जिनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है तथा जो राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा (आर.पी.एस.) नियम, 1987 के अन्तर्गत 750/- रुपये प्रतिमाह का निश्चित वेतन ले रही हैं, उन्हें प्रशिक्षित होने अथवा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक 950/- रुपये प्रतिमाह का संशोधित निश्चित वेतन दिया जाएगा, ऐसी महिला अध्यापकों का वेतन उपर्युक्त जिलों में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा एस.टी.सी. प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो, अध्यापक ग्रेड-III के पद के वेतनमान के न्यूनतम 1200-2050 रुपये पर निर्धारित किया जाएगा। 1.9.88 से 31.12.88 तक की अवधि का बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा तथा 1.1.89 से 31.3.89 तक की अवधि का बकाया पी.एफ. खाते में जमा किया जाएगा।"

6. दूसरे, याचिकाकर्ता की समकक्ष, राज कौर राम देव को एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 5930/2011 में एकल न्यायाधीश के फैसले के अनुसार वही लाभ दिए गए थे, जो 14.09.2012 को तय हुआ था, जिसके खिलाफ आगे अपील की गई और उसे खारिज कर दिया गया।

7. दूसरे तर्क की वैधता के संबंध में, एकल पीठ के फैसले ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया क्योंकि इसके खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया गया। राज कौर राम देव को लाभ के लिए पात्र माना गया, जिससे याचिकाकर्ता के पेंशन लाभ को रोकने का यह कारण विवादास्पद हो गया।

8. अंतिम पेंशन लाभ न देने के पहले आधार को संबोधित करते हुए, अधिसूचना में दोहरी पात्रता की परिकल्पना की गई है: (i) बीएसटीसी योग्यता का होना, और (ii) योग्यता न रखने वालों के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा।
9. यह मानते हुये कि याचिकाकर्ता ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और उसे नियमित वेतनमान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, इस आधार पर कोई तथ्यात्मक विवाद नहीं है। इसलिए, कोई वैध कारण नहीं है कि याचिकाकर्ता के पेंशन लाभ, जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल है, जारी क्यों नहीं किए गए।
10. यद्यपि याचिकाकर्ता को अनंतिम पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं होने के बावजूद पूर्ण लाभ रोके जाने का खतरा बना हुआ है, केवल समकक्ष के संबंध में लंबित डिवीजन बेंच अपील के कारण, जिसके साथ याचिकाकर्ता का कोई संबंध नहीं है।
11. इसके मद्देनजर, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को आवश्यक गणना करने के बाद ग्रेच्युटी सहित सभी पेंशन लाभ जारी करने का निर्देश दिया जाता है।
12. कहने की जरूरत नहीं है कि चूंकि याचिकाकर्ता देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसलिए लागू सेवा नियमों के अनुसार देय राशि का भुगतान स्वीकार्य ब्याज के साथ किया जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों को इस आदेश की वेब-प्रिंट प्रति उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली जानी चाहिए।
13. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।